



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 1965/12-1, हल्द्वानी दिनांक- 28/03/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी. 0.00 (देवलामल्ला) से किमी. 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No-FP / UK / ROAD / 20099 / 2016)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या- 8बी/यू.सी.पी./06/215/2016/एफ.सी./1447, दिनांक- 19.01.2022 एवं आपका पत्रांक-1838 /1 जी.- 2095 (रा० रा० प्रा०) दिनांक-24.01.2022 एवं पत्रांक-1851 / FP / UK / ROAD / 20099 / 2016 दिनांक-25.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र संख्या-297/29 Mg दि० 11. 02.2022 आपत्तियों का निस्तारण कर प्रेषित किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अतः संकलित सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

बिन्दु संख्या-1 विषयांकित मार्ग की स्वीकृति के उपरान्त सर्वेक्षण एवं संमरेखन अनुमोदन उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रस्ताव दिनांक-20.06.2021 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। तदोपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-112-01 यातायात 30/2012 दिनांक-01.02.2013 में निर्देशित किया गया था, कि 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने हेतु समस्त निर्माण कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 278 होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक-1146/29 एम०जी० दिनांक-19.07.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि. काठगोदाम को हस्तगत किया गया। परन्तु काफी समय के उपरान्त पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि. काठगोदाम ने अपने पत्रांक-220/ पी.एम.जी.एस.वाई. सि०ख० दिनांक- 31.08.2020 द्वारा प्रकरण अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि. नैनीताल को इस आशय से लौटाया गया कि संबंधित ग्राम कोर नैटवर्क से नहीं जुड़ा होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड से नहीं किया जा सकता है। जिसकी विस्तृत आख्या आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-2058/8सी० दिनांक-01.09.2021 द्वारा प्रेषित की गयी थी। (संलग्न-1) अतः उपरोक्त कारणों से आपत्तियों के निराकरण में समय लगा।

बिन्दु संख्या-2 प्रस्तावित प्रकरण वन क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के कालूखेड़ा क०सं०-1 में 1973 से पूर्व का अतिक्रमण है।

बिन्दु संख्या-3 मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से पूर्व ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है। पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग हेतु 6.00 मी. चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, एवं पैदल मार्ग का निर्माण 2.00 मी. चौड़ाई में किया जाता है। विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग का रखरखाव 16. 00 किमी. लम्बाई में इस खण्ड के अन्तर्गत है। अवशेष भाग पहाड़पानी तक अ०ख०, लो.नि.वि. भवाली द्वारा किया

जाता है। मोटर मार्ग निर्माण ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर समय-समय पर नदी के डिपोजिट एवं भरान के कारण प्रारम्भिक लगभग 250 मी. में मार्ग की चौड़ाई में बढ़ोत्तरी हुई। प्रस्तावित कार्य में पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग के प्रथम दो किमी. को मोटर मार्ग में परिवर्तन/सुधारीकरण/डामरीकरण एवं नदी में Causeway प्रस्तावित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण इसी पैदल मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है। जिस हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। शासन स्तर से भी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित डी.पी.आर. की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरण उपरान्त ही प्रदान की जाती है।

बिन्दु संख्या-4 मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है।

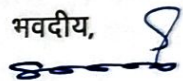
बिन्दु संख्या-5 प्रस्तावित मोटर मार्ग की 7.0 मी चौड़ाई में सयुक्त गणना हेतु दिनांक-02.02.2022 को वन भूमि क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसके क्रम में राजि अधिकारी छकाता द्वारा अपने पत्रांक-643-12 दिनांक-09.03.2022 द्वारा 7.0 मी चौ० में पेड़ों की गणना की सूची प्रेषित की गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
(संलग्नक-2)

बिन्दु संख्या-6 डिस्ट्रिक्ट प्रोफाईल की सही जानकारी ऑन-लाईन और ऑफ-लाईन प्रस्तुत है। (संलग्नक-3)

बिन्दु संख्या-7 पैदल मार्ग पूर्व में निर्मित है। मार्ग के सुधार एवं निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से स्थानीय जनता को सुगम यातायात कृषि व्यवसाय एवं चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होगी। अतः व्यापक जनहित एवं स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1965 संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि. नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।


(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक :-

2058/8C

हल्द्वानी वन प्रभाग दिनांक - 1/9/2021

सेवा में,

पत्रावली संख्या 13-1

क्रम सं०

पंजीकृत सं० 1503

दिनांक 14-9-21

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉज के निर्माण के संबंध में। (एफ०पी०/यू०के/रोड/20099/2016)

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 523/13-1 हल्द्वानी दिनांक 26.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पूर्व भारत सरकार के पत्र दिनांक 15/05/2021 के बि संख्या -1 में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है कि प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० उत्तराखण्ड लो०नि० देहरादून का पत्रांक 112/01याता० (क)-उ०/2012 दिनांक 01.02.2013 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 250 जनसंख्या से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने वाले मोटर मार्ग को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड द्वारा म का निर्माण किया जायेगा। जिस कारण इस मोटर मार्ग को इस कार्यालय के पत्रांक- 1146/29एम०जी० दिनांक 19/07/2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड काठगोदाम को हस्तगत कर दिया गया (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिस कारण इस कार्यालय द्वारा आख्या नहीं भेजी जा सकी पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड काठगोदाम द्वारा विषयक मोटर मार्ग को पुनः इस खण्ड को अपने कार्यालय पत्रांक 420/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०ह०/ दिनांक-31/08/2020 द्वारा प्रस्ताव लौटाया गया जो इस कार्यालय दिनांक- 01/09/2020 को प्राप्त हुई थी। जिस पर नोडल अधिकारी देहरादून के Online eds दिनांक- 11/12/2020 को 5 बिन्दुओं पर आपत्तियों में प्राप्त हुआ जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 747/29एम०जी० दिनांक- 26/03/2021 द्वारा बिन्दुवार आख्या तैयार कर आपके कार्यालय में प्रेषित किया (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) एवं भारत सरकार के पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/215/2016/सी०/156 दिनांक-15/05/2021 द्वारा 17 बिन्दुओं पर आपत्तियों लगायी गयी थी जिसका बिन्दुवार प्रतिउत्तर तै कर मय संलग्नक सहित आपको इस कार्यालय के पत्रांक- 1557/29एम०जी० दिनांक- 17/07/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) साथ ही यह भी उल्लेखित किया जाना है कि विषयक मोटर मार्ग का जिस समरेखन हेतु पूर्व में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उस समरेखन में परिवर्तन नहीं किया गया है तथा इस मोटर मार्ग को मार्गदर्शी के पैरा- 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र आ संलग्नक कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जा सकें।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल

पत्रांक :-

दिनांक -

प्रतिलिपि:-सहायक अभियन्ता प्रा०ख०, लो०नि०वि० नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, छकाता राजि, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल)



पत्रांक सं० 643/12

हल्द्वानी

दिनांक- 9/03/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-317/2013 के जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम-विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवलामल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे के निर्माण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०के०/रोड/20099/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/215/2016/एफ०सी०/1447, दिनांक 19/01/2022 व आपका कार्यालय पत्र सं० 1451/12-1 दिनांक 28/01/2022, व पत्रांक सं० 1452/12-1 दिनांक 28/01/2022 तथा इस कार्यालय की पत्रांक सं०-625/12 दिनांक 3/3/2022 व पत्रांक सं० 636/12 दिनांक 6/03/2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा बिन्दु सं० 5 में 7 मी० चौड़ाई पर वृक्षों की गणना करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिस के क्रम में दिनांक 02/02/2022 को लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गयी, जिसकी सूची संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन सैतेला)
वन क्षेत्राधिकारी,
छकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

संयुक्त जॉच रिपोर्ट

दिनांक 02.02.2022 को लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी विकास खण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल के ग्राम विजयपुर -पहाडपानी पैदल मार्ग किमी 0.00 (देवला मल्ला) से किमी 2.00 तक के मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने के लिए 7.00 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गई, उक्त मार्ग 7.00 मी0 चौड़ाई का है जो पर्याप्त है। मार्ग में आने वाले वृक्षों की सूची निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	वृक्ष की प्रजाति	व्यास श्रेणी	वृक्षों की संख्या
1	साल	5-6	1
		6-7	2
		योग	3
2	बकैन	4-5	1
3	गुलर	4-5	2
		5-6	2
		7 से ऊपर	2
		योग	6
4	हल्दू	7 से ऊपर	1
5	आम	4-5	1
6	जामुन	0-20	1
7	कोकाट	0-20	5
		कुल योग	18


 (निवीन रातेला)
 वन क्षेत्राधिकारी,
 छकाता राजि
 हल्द्वानी वन प्रभाग

District Profile_Mar 2022

S.No	Name of District	Geographical Area of District		Forest Area of District	Total Forest Area of Diverted since 1980	No. Of Cases Approved	CA Including penal CA Stipulated (in ha)		Progress of CA (in ha)		Total CA Done	Total CA Progress in %
		(in ha)					In Forest Land	In Non-Forest Land	In Forest Land	In Non-Forest Land		
1	Mainital	679400		402040	6989.67	619	9370.00	499.19	7993.9923	499.19	8493.18	86.06

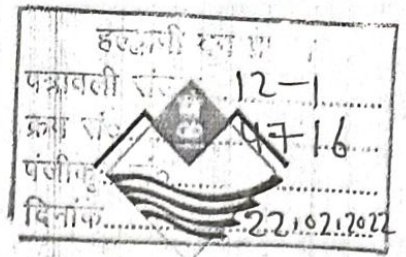
(*) Total are = 116,94 ha in 409 cases are less than 1 ha diversion.

2401245-2

22/2/21
Jo



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल



उत्तराखण्ड शासन
E-Mail:- eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :-
सेवा में,

247 / 29mg

दिनांक - 11/02/22

मान्यता

5090810

विषय:-

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.000 (देवलमल्ला) से 2.000 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड/20099/2016 के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. भारत सरकार का पत्रांक सं0 8 बी0/यू0सी0पी0/06/2015/2016/एफ0सी0/1447 दिनांक 19.01.2022 एवं आपका पत्रांक 1453/12-1 दिनांक 28.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

1. बिन्दु सं0 1 विषयांकित मार्ग की स्वीकृति के उपरान्त सर्वेक्षण एवं संमरेखन अनुमोदनापरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रस्ताव दिनांक 20.06.2021 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। तदोपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 112/01 यातायात 30/2012 दिनांक 01.02.2013 में निर्देशित किया गया था, कि 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने हेतु समस्त निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 278 होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1146/29 एम0जी0 दिनांक 19.07.2017 द्वारा अधिशाली अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम को हस्तगत किया गया। परन्तु काफी समय के उपरान्त पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम ने अपने पत्रांक 220/ पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 दिनांक 31.08.2020 द्वारा प्रकरण इस खण्ड को इस आशय से लौटाया गया कि संबंधित ग्राम कोर नेटवर्क से नहीं जुड़ा होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड से नहीं किया जा सकता है। जिसकी विस्तृत आख्या आपको इस कार्यालय के पत्र सं0 2058/8सी0 दिनांक 01.09.2021 द्वारा प्रेषित की गयी थी। (संलग्न-1) अतः उपरोक्त कारणों से आपत्तियों के निराकरण में समय लगा।
2. बिन्दु सं0 2 पर आख्या आपके स्तर से प्रेषित की जानी है।
3. बिन्दु सं0 3 में मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है। पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग हेतु 6.00 मी0 चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, एवं पैदल मार्ग का निर्माण 2.00 मी0 चौड़ाई में किया जाता है। विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग का रखरखाव 16.00 किमी0 लम्बाई में इस खण्ड के अन्तर्गत है। अवशेष भाग पहाड़पानी तक अ0ख0, लो0नि0वि0 भवाली द्वारा किया जाता है। मोटर मार्ग निर्माण ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर समय - समय पर नदी के डिपोजिट एवं भरण के कारण प्रारम्भिक लगभग 250 मी0 में मार्ग की चौड़ाई में बढ़ोत्तरी हुई। प्रस्तावित कार्य में पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग के प्रथम दो किमी0 को मोटर मार्ग में परिवर्तन / सुधारीकरण / डामरीकरण एवं नदी में Causeway प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण इसी पैदल मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है। जिस हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। शासन

स्तर से भी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित डी०पी०आर० की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरण उपरान्त ही प्रदान की जाती है।

4. बिन्दु सं० 4 मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है।
5. बिन्दु सं० 5 प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी० चौड़ाई में प्रस्ताव गठित किया गया है। दिनांक 02.02.2022 को आपके विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर मार्ग हेतु वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में की गयी है। वृक्षों की गणना सूची अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. बिन्दु सं० 6 भाग 2 पैरा 14 में आपके स्तर से आख्या प्रेषित की जानी है।
7. बिन्दु सं० 7 पैदल मार्ग पूर्व से निर्मित है। मार्ग के सुधार एवं निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से स्थानीय जनता को सुगम यातायात, कृषि व्यवसाय एवं चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे।

अतः व्यापक जनहित एवं स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करने का कष्ट करें।

महोदय - उपरान्त

भवदीय

(इ० दीपक गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०

नैनीताल

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि:-अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, भूमि।सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कोलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रा०ख०, लो० नि० वि०, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष / फ़ैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 1453 /12-1, हल्द्वानी दिनांक- 28/01/2022

सेवा में,

✓ अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

विषय:- Meeting Notice of Fortnightly Coordination Meeting (FRCM) of January 2022-reg.

संदर्भ :- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1838/1जी-2095 (रा०रा०प्रा०) दिनांक- 24/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित व आपको पृष्ठांकित किया गया है का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून के पत्र दिनांक-19.01.2022 द्वारा प्रकरण में आपत्तियाँ उठायी गयी हैं। अतः उठायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1453

संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, रामपुर रोड, हल्द्वानी को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05940-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 1452 / 12-1, हल्द्वानी दिनांक- 26 / 01 / 2022

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

विषय :-

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़यानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल तल्ला) से किमी० 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No- FP/UK/ROAD/20099/2016)

संदर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या- 8बी/यू.सी.पी./06/215/2016/एफ.सी./1447, दिनांक-19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी गयी। उठायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या-5 में 7 मी० सड़क चौड़ाई पर वृक्षों की गणना की जानी है। दिनांक-02.02.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की जाती है। अतः आप अथवा आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि निर्धारित तिथि 02.02.2022 को समय से मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1452

संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्धौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- राजि अधिकारी छकाता को इस आशय से प्रेषित की निर्धारित तिथि पर समय से मौके पर मय स्टाफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी